

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003022011

दांडिक प्रकरण क.-91/11

संस्थापित दिनांक-17.03.2011

|  |
|--|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-<br>आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।<br>.....अभियोजन                                 |
| <b>विरुद्ध</b>   |
| 01-राजीव उर्फ बल्लू उर्फ संजीव पुत्र हजारीलाल गुप्ता<br>उम्र 35 वर्ष निवासी पुराना बस स्टैंड चंदेरी।<br>.....आरोपी |
| राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।<br>आरोपी द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।                       |

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 4 “क” द्यूत क्रीडा अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी दशरथ सिंह ने दिनांक 19.01.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट

लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को दौरान ए कस्बा गश्त मुखविर द्वारा उसे सूचना मिली कि पुराने बस स्टैंड चंदेरी पर संजीव गुप्ता उर्फ बल्लू पुत्र हजारीलाल गुप्ता एक रुपये के बदले नब्बे रुपये का प्रलोभन देकर सट्टा का कार्य कर रहा है जिसकी तस्दीक हेतु वह हमराह नरेंद्र सिंह रघुवंशी के साथ मुखविर के बताए स्थान पर पहुंचा। तस्दीक पर संजीव गुप्ता एक व्यक्ति से एक रुपये के बदले नब्बे रुपये का प्रलोभन देकर सट्टा पाना तैयार कर उससे 245 रुपये प्राप्त किए तथी पंचान नरेंद्र जैन एवं जहूरशाह के समक्ष कार्यवाही करते हुए आरोपी बल्लू उर्फ संजीव गुप्ता के पास से एक सट्टे का पाना व नगदी 245 रुपये बरामद किए एवं अपराध धारा 4“क” सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अंतर्गत होने से मौके पर जप्ती एवं पंचनामा बनाकर अपराध थाना वापसी पर पंजीबद्ध किया गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/11 के अंतर्गत 4 “क” सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 “क” के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.01.12 को समय 08.30 बजे सार्वजनिक स्थान बस स्टैंड चंदेरी पर एक रुपये के बदले नब्बे रुपये देने का प्रलोभन देते हुए अन्य व्यक्तियों को सट्टा अंक वितरित कर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 4“क” के तहत दंडनीय अपराध किया है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 जहूरशाह, अ.सा. 02 नरेंद्र कुमार, अ.सा. 03 नरेंद्र सिंह रघुवंशी, अ.सा. 04 दशरथ सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 04 दशरथ सिंह ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 19.01.11 को वह थाना चंदेरी में एएसआई के पद पर पदस्थ था तथा वह मुखविर की सूचना के आधार पर मौके पर गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे मुखविर से सूचना मिली थी कि आरोपी राजीव सट्टा पर्ची काट रहा है तथा सही पाए जाने पर आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफ्तार किया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी से सट्टा का पाना एवं नगदी प्रपी 01 के अनुसार जप्त की थी तथा थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रपी 05 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने संजीव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था तथा उसका कहना है कि संजीव, राजीव और बल्लू भी कहलाता है। अ.सा. 04 के अनुसार उसने राजीव को गिरफ्तार नहीं किया तथा राजीव के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया।

08— अ.सा. 03 राजेंद्र सिंह के अनुसार उसने प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। प्रकरण में आरोपी राजीव पुत्र हजारीलाल के विरुद्ध आरोपी विरचित किए गए हैं, जबकि विवेचक का कहना है कि उसने संजीव नामक व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस प्रकार मामले के विवेचक की साक्ष्य में विरोधाभास है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा. 01 जहूरशाह एवं अ.सा. 02 नरेंद्र कुमार पक्षद्रोही हो गए हैं। दोनों साक्षीगण ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 जप्ती पत्रक प्रपी 01 के भी साक्षी हैं तथा दोनों साक्षीगण ने उनके समक्ष जप्ती की कार्यवाही होने से भी इंकार किया है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 ने इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष सट्टा पाना, सट्टा

पर्ची एवं नगदी जप्त हुआ था। प्रकरण में उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। इस प्रकार प्रकरण में न केवल विवेचक की साक्ष्य में विरोधाभास है, बल्कि विवेचक की साक्ष्य की संपुष्टि भी नहीं हो रही है। इस प्रकार अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा सटटा अंक वितरित कर सटटा खिलाया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को द्यूत क्रीडा अधिनियम की धारा 4 “क” के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा एक सटटा अंक लिखा पाना मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो एवं जप्तशुदा नगदी 245 रुपये राजसात किए जावें।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)